

दुर्गाशंकर बनाम सरकार

24-12-19



विद्वान अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त अपील दिनांक 24-11-2014 को अपीलांट की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को नहीं दी गई। न्यायालय हाजा के उपरोक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 05-10-2016 को प्राप्त हुई जब वे संबंधित अधिवक्ता से उक्त अपील के संबंध में सूचना लेने पहुँचा। तत्पश्चात् बिना विलम्ब किये पत्रावली से संबंधित दस्तावोजों की नकलें प्राप्त करते हुए उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मय मियांद प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के हक व हकूक निहित है। न्याय की भी यह मंशा रही है कि किसी भी पक्षकार को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये उसके जायज अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि प्रकरण में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण मूल अपील में गुणावगुण के आधार पर तय होना है। अतः प्रार्थीगण का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील को पुनः सुनवाई पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।


विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता स्व. रामचन्द्र द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त अपील पक्षकारों की तलबी में निर्धारित थी तथा दिनांक 24-11-2014 को उपरोक्त अपील अपीलांट की अपुनस्थिति में अदम हाजरी व अदम अदम तक्मील में खारिज कर दी गई। उक्त खारिजी आदेश के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए मूल अपील को पुनः सुनवाई पर लेने की इस्तदुआ की गई है।

प्रकरण में मूल अपील की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 24-11-2016 को अभिभाषक अपीलांट की अनुपस्थिति में खारिज किया गया है जबकि उक्त दिनांक से पूर्व अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता निरन्तर उपस्थित आ रहे थे। ऐसीस्थिति में किसी



भी पक्षकार के लिये यह संभव नहीं है कि वे प्रत्येक पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आवें। लिहाजा अपीलांत के अधिवक्ता द्वारा कारित की गई भूल का खामियाजा किसी पक्षकार को नहीं दिया जा सकता। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जहाँ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहाँ मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण के निस्तारण से बचा जाना चाहिए। प्रस्तुत मामलें में भी पक्षकारों के हितों का निर्धारण अपील में गुणावगुण पर तय होना शेष है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ़्तर हो।


(रामरतन साँकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

